

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-1059/1994 विरुद्ध आदेश
 29-9-1994 - पारित - व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 185/1992-93 निगरानी

महिला हवनकुँवर पति भगवान सिंह
 ग्राम रामगढ़, तहसील ईसागढ़
 तत्कालिन गुना
 वर्तमान जिला अशोकनगर
 विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

—आवेदक

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०बाजपेयी)

(अनावेदक के पेनल लायर श्री बी०एन०त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक ३-५ - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 185/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 के विरुद्ध यह निगरानी म०प्र० भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि नायव तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण क्रमांक 86/अ-19/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 29-11-1990 से ग्राम रामगढ़ की भूमि सर्वे नंबर 109 रक्का 1.554 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) आवेदक के हित में म०प्र०कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की गई। अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा नायव तहसीलदार के प्रकरण

(M)

11

का परीक्षण करने पर व्यवस्थापन में अनियमितताएँ पाने के कारण आवेदक के विरुद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 342/1991-92 पंजीबद्व किया तथा भूमि व्यवस्थापन में अनियमितताएँ होना अंकित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया। अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश 25-1-1993 पारित किया तथा नायव तहसीलदार ईसागढ़ का आदेश दिनांक 29-11-1990 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 185/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की भूमि पर संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस अधिनियम में निगरानी का प्रावधान नहीं है इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाय। अनावेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को नियमानुसार होना बताया।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव कि म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित

(M)

JK

- 3 - निग. प्र.क. आर-1059/1994

भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अवलोकन से स्थिति यह है कि :-

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा-50 - म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 की धारा 5(7) एवं 2 (c) के अंतर्गत आदेश पारित किया, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण अधिकारिता प्रयुक्त की जा सकती है।

(अयोध्या प्रसाद विरुद्ध रामचिरिलावन, 1998 यानि 0 229 से अनुसरित)

अतएव उक्त सम्बन्ध में आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने यह भी बताया कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2-10-1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर पात्रता की जाँच करके भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र पाये जाने पर एवं अपर कलेक्टर अशोकनगर से सुनवाई का समुचित अवसर देकर भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि जब अपर कलेक्टर ने नायव तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 86/अ-19/1989-90 का परीक्षण किया है तब पाया है कि आवेदक के परिजनों के नाम व्यवस्थापन के पूर्व से ही ग्राम में 8-593 हैक्टर भूमि है अर्थात् वह भूमिहीन नहीं है। म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-

JM


-4- निग. प्र.क. आर-1053/1994

स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम
1984 की धारा 2 (क) इस प्रकार है

“कृषि श्रमिक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो कोई भूमि
धारण न करता हो और उसकी आजीविका का मुख्य साधन
भूमि पर शारिक श्रम करना हो और जो ऐसे कुटुम्ब का
सदस्य न हो, जिसका कोई भी अन्य सदस्य कोई भूमि
धारण न करता हो।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के परिजनों नाम व्यवस्थापन के पूर्व
से ही याम में 8.593 हैक्टर भूमि है अर्थात् वह भूमिहीन नहीं
है एंव उसे अधिनियम के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन में पाने की
पात्रता न होते हुये भी नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक
26-11-90 से अपात्र के हित में नियमों के विपरीत जाकर भूमि
का व्यवस्थापन किया था, जिसे अपर कलेक्टर अशोकनगर ने
आदेश दिनांक 25-1-93 से निरस्त करने में किसी प्रकार की
त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर
संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/1992-93 निगरानी
में पारित आदेश दिनांक 29-9-1994 में अपर कलेक्टर के आदेश
को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये
जाने से निरस्त की जाती हैं एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,
ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 185/1992-93 निगरानी में पारित
आदेश दिनांक 29-9-1994 उचित पाये जाने से यथावत् रखा
जाता है।


(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

